न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां (तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 178 / 2021

सरकार बनाम जयपाल पुत्र महताब सिंह, जाति–जाट, निवासी– बिशनपुरा (जाखोद)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : **22.11.2021**

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन **किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में** मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल जयपाल **पुत्र महताब सिंह,** जाति–जाट, निवासी–बिशनपुरा (जाखोद) द्वारा रोही मौजा **बिशनपुरा (जाखोद) की राजकीय भूमि** ख.नं. 5 के कुल रकबा 63.17 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ **में से रकबा 0.01 है0 भूमि पर** चार दीवारी बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का **पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई।** हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण **को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम** 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर **किया गया। गैर सायल को नोटिस** जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत **होकर जवाब नोटिस पेश किया है,** जिसमें उसने अपना पुराना कब्जा बताया। अपने **कब्जे के विधिक होने के समर्थन** में कोई अन्य साक्ष्य/सबूत पेश नही किया है। चूंकि **भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है** एवं माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल **रहमान बनाम राजस्थान सरकार** में डी.बी. अपील सं. 1536/ 03 में दिये गये **निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़,** पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण **की भूमि के आवंटन/ नियमन** पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट** ऑफ पंजाव व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 **@ SLP(C) No.3109/2011** (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. **19869 of 2010) निर्णय** दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित **भूमियों की श्रेणी में आती है।** अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए **गैर सायल को उरोक्त विवादित** भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध **बेदखल करने के आदेश दिये** जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा **तावान 5 रू. कायम किया** जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की **कायमी करवाई जावें। पटवारी** / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली **हेतु लिखा जावें । मिसल** फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. ...41... पर वर्ष 2021-22 में रूपये ...5/-... कायम कि।
राजस्व लेखाकार